

तारीख  
हुकूम

नम्बर  
अदालत  
हुकूम  
में

23.8.24

पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित बहस सुनी गई। बहस में वकील वादी ने निवेदन किया कि ग्राम सुरास की नफल जमातन्दी ख्वत 2013 से 2076 के खाता संख्या 327 की आबनं 1330/3 रकबा 0.3920 है, आबनं 1031/3 रकबा 1.0117 है खाता संख्या 354 में दर्ज आबनं 922 रकबा 0.2276 है, आबनं 923 रकबा 0.2403 है, आबनं 924 रकबा 0.1518 है, आबनं 925 रकबा 0.2276 है, आबनं 926 रकबा 0.2656 है, आबनं 929 रकबा 0.3541 है खाता संख्या 355 में दर्ज आबनं 1020 रकबा 0.1897 है, आबनं 1026 रकबा 0.2023 है, आबनं 1028 रकबा 0.2023 है में नन्दा पिता दोला चांदी का 74 हिस्सा दर्ज है। इसी प्रकार ग्राम सुरास के खाता सं 570 में दर्ज आबनं 953/2 रकबा 0.1265 है में नन्दा पिता दोला का 710 हिस्सा, खाता सं 636 में दर्ज आबनं 932 रकबा 0.0632 है किस्म आबनं चोह में नन्दा का 712 हिस्सा, खाता सं 637 में दर्ज आबनं 934 रकबा 0.0253 है किस्म आबनं चोह में 712 हिस्सा खातेदारी व कब्जेकाश्त में दर्ज है। श्री नन्दा पिता दोला वादीया के ससुर हैं। नन्दा जी का दिनांक 18/12/2024 को निवृत्ति हो गया। नन्दा जी अपने जीवनकाल में वादीया के साथ ही निवास करते थे तथा नन्दा जी की सेवा चाकरी व देखभाल वादीया ही करती थी। वादीया की सेवा से प्रसन्न होकर नन्दा जी ने अपने जीवनकाल में ही खे गवाहों की उपस्थिति में एक अन्तिम इच्छापत्र (वसीयतनामा) दिनांक 1-10-2023 को वादीया के पक्ष में निष्पादित कर उसे

तारीख  
हुकूम

अधिकारी

नोटरी से प्रमाणित करा। वसीयतनामों की फोटो प्रति पत्रावली में पेश की हैं एवं खातेदार नन्दा पिता दोला चौबी का मृत्यु प्रमाणपत्र की फोटो प्रति पेश की हैं। वकील एवं प्रतिवादीगण जो कि मृतक नन्दा की पुत्रवधु व पोते-पोती हैं। नन्दा की मृत्यु हो जाने से नन्दा द्वारा वादीया के पक्ष में दिनांक 1-10-2023 को की गई वसीयत विधिबद्ध रूप से प्रभावी हो गई जिसे स्वयं प्रतिवादीगण द्वारा भी राजीनामा से स्वीकार किया है। अतः माफिक राजीनामा वादीया का वाद स्वीकार प्रमाया जावे।

हमने वकील वादीया व प्रतिवादीगण के अधिवक्ता को सुगा वाद के तथ्यों व पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों व राजीनामा में उल्लिखित तथ्यों पर मनन किया तो जाहिर आया कि ग्राम सुरास की नकल जमाबन्दी संवत् 2023 से 76 के ताता संख्या 327 में दर्ज आराजीयत कीता 2 कुल रकबा 1.4037 हेक्टर, खाता संख्या 354 में दर्ज आराजीयत कीता 6 कुल रकबा 1.4670 हेक्टर, खाता संख्या 355 में दर्ज आराजीयत कीता 3 कुल रकबा 0.5943 हेक्टर में स्वयं नन्दा पिता दोला चौबी का 1/4 हिस्सा खाता सं 470 में दर्ज आरा नं 953/2 रकबा 0.1265 हे० में नन्दा का 1/10 हिस्सा, खाता सं 636 में दर्ज आरा नं 932 रकबा 0.0632 हे० किस्म चाहर आरा नं 934 रकबा 0.0253 हे० किस्म चाहर में 1/12 हिस्सा संयुक्त खातेदारी से दर्ज है। वाद वणित आराजीयत नन्दा पिता दोला चौबी की स्वयं की खातेदारी की होने से वादीया के पक्ष में की गई वसीयत कि 1-10-2023 विधिबद्ध रूप से प्रभावी है क्योंकि वसीयत का रजिस्टर्ड होना आवश्यक नहीं है एवं उक्त वसीयत को प्रतिवादी संख्या 1 से 4 द्वारा भी सही होना स्वीकार कर दिनांक 13/8/24 को आपसी राजीनामा पेश किया है। अतः माफिक राजीनामा एवं वसीयतनामा के आधार

तारीख  
हुकम

हुकम या कार्यवाही पर इनिशियल्स जगः

पत्तदीया का नया स्वीकार करते हुए इस काशाय का  
डिक्री किया जाता है कि ग्राम सुरास के खाला संख्या  
327 में दर्ज आबनं 1330 रकबा 0.3920 हेक्टर, आबनं  
1031/3 रकबा 1.0117 हेक्टर, खाता संख्या 354 में दर्ज  
आबनं 922 रकबा 0.2276 हेक्टर, आबनं 923 रकबा  
0.2403 हेक्टर, आबनं 924 रकबा 0.1518 हेक्टर, आबनं  
925 रकबा 0.2276 हेक्टर, आबनं 926 रकबा 0.2656 हेक्टर,  
आबनं 929 रकबा 0.3541 हेक्टर खाला सं 355 में दर्ज  
आबनं 1020 रकबा 0.1897 हेक्टर, आबनं 1026 रकबा  
0.2023 हेक्टर, आबनं 1028 रकबा 0.2023 हेक्टर  
में स्व. नन्दा पिता दोला के बजाय 1/4 हिस्से का व  
खाता संख्या 470 में दर्ज आबनं 953/2 रकबा 0.1265  
में वदीया का 1/10 हिस्सा, खाता संख्या 636 में दर्ज आबनं  
932 रकबा 0.0632 हेक्टर व खाला संख्या 637 में दर्ज  
आबनं 934 रकबा 0.0253 हेक्टर में वदीया को 1/12  
हिस्से का संयुक्त खातेदार काश्तकार घोषित किया  
जाकर राजस्व रिकॉर्ड में स्व. नन्दा पिता दोला थोकी  
के स्थान पर वदीया भागुती पति बगदु थोकी कि.  
सुरास का नाम संयुक्त खातेदारी में दर्ज कर इन्द्राज  
दुयल्ली की जावे पर्वी डिक्री जारी हो। आदेश सुनाया  
गया। पत्रावली फंसल शुमार हेक्टर 0.0000 (संयुक्त)

उपखण्ड अधिकारी  
मांडल जिला भीलवाड़ा